

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (कार्टर 2/5)
जोधपुर

CNR NUMBER

Number of Case

A/94 / Year 2023

अचलाराम

Versus राखू देवी व अन्य

अन्वय-212 R.T.A.


| Date | Order with initials of Presiding Officer | Brief note of compliance of the Order |
|-------|---|---|
| 13/05 | <p>24 पत्रावली पेशा एकपत्नीय बहस सुनी गयी। मुताबिक अर्घ्य-प्राथी -" ग्राम चावण्डा, ख-सं. 611 (रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा) पूर्व में राजकीय भूमि थी। वर्ष 2002 में जरिद नियमन उक्त कृषि भूमि का नामांतरकरण सं- 548 (दिनांक 09/08/02) को अवारसिंह, राखू देवी 1/2 हिस्सा, मैनाकंवर 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ। मैनाकंवर द्वारा अपने 1/2 हिस्से में से 03 बीघा 05 बिस्वा प्राथी अचलाराम को जरिद रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27/05/17 को बैचान कर दिया। जिसका नामा-सं. 988 (दिनांक 05/08/15) से revenue record में अमलदरामद किया गया। विवादित खसरा का प्राथी एवं अशार्थी सं- 01 ता 07 ने मौखिक विनाजन कर लिया। किंतु राजस्व record में तरमीम नहीं करवाई जा रही है। अतः अशार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे ख-सं. 611 के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।"</p> | <p>उपरोक्त बहस, दस्तावेजों, अपथ-पत्र के अनुसार प्रा-पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- "चूंकि प्राथी विवादित भूमि का सह- खातेदार है, अतः प्रथम-दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्ण्य सति प्राथी के पत्र में साबित होते हैं। अतः अशार्थी सं. 01 ता 07 को जरिद अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।"</p> |

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER

Number of Case A/94/..... Year 2023

Versus राखू देवी व अन्य
अचलराम अन्वयितार 212 P.T.A

| Date | Order with initials of Presiding Officer | Brief note of compliance of the Order |
|------|--|--|
| | <p>कि बिना विधिक विनाजन विशेष भू-भाग दशति हुए भूमि का बेचान ना हो एवं मॉक पर कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो।"</p> <p>आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दारिखत- दफतर हो।</p> <p>प्रसिक्त सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (F.I), जोधपुर</p> | <p></p> |